2020/222

आदेश पत्रक

(नियम 13)

General (civil), Rule 103, Appendix 'B', Form no 9

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी।

विनोद आदि बनाम कैलाश आदि

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं 71 सन 2022

आदेश	कार्यवाही विवरण	कैफियत
08.03.2022	आवेदकगण के अधिवक्ता उपस्थित । रिपोर्ट आर0ए0 हो चुकी है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे । आवेदकगण अधिवक्ता ने मय शपथ पत्र के इस अनुरोध पर की प्रकरण अतिआवश्यक प्रकृति का है तथा आवेदकगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही किये जाने पर वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का उद्देश्य ही असफल हो जाएगा। आवेदकगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर सुना गया आवेदकगण का कथन है कि अनावेदकगण प्रश्नगत भूमियों को गलत राजस्व रिकार्ड की आड में बिना विधिवत विभाजन के ही बेचान, रहन, मुंतकिल करने, बलात कब्जा करने, कच्चा पक्का निर्माण करने, आवेदकगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः अनावेदकगण जबरन लाठी के जोर से प्रश्नगत भूमियों पर निर्माण नहीं करें, बेचान नहीं करें, आवेदक के कब्जे काश्त में व्यवधान कारित नही करे, रहन नहीं करें तथा मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थना पत्र की अत्यावश्यकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अनावेदकगण आगामी तारीख पेशी तक ग्राम गढला खुर्द पटवार हल्का गढला कलां के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 118, 120, 123, 129, 130, 131, 188 कुल किता 7 कुल रकबा 10.5400 है0 में मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। उक्त स्थगन बैंक ऋण वसुली, रास्ता, विद्युत कनेक्शन बाबत् अप्रभावी रहेगा। आवेदिकागण को निर्देशित किया जाता है कि अनावेदकगण को नोटिस की तामील की सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ [illegible] पत्र दस्तावेज नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्ट्[illegible] से भिजवाया जाना सुनिश्चित कर इस [illegible] करें। जिन भी स्थितियों में अन्तरिम [illegible] गई है, [illegible] परिवर्तन की दिशा में [illegible] संशोधित कर जावेगा। पत्रावली दिनांक 11.04.2022 को पेश हो। (रामसिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:26:04 IST
Reason: SelfAttested

11/3/2022 प्रार्थी विनोदकुमार तथा कमलेश द्वारा जरिये वकील आवेदन पत्र मिसल तलबी व वास्ते अर्जी आवेदन पत्र मिसल तलबी को स्वीकार किये जाने पर पत्रावली को तलब की गई।
प्रार्थी द्वारा अपने वकील पर इत्मीनान इस बाबत किये की वे प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते तथा प्रकरण को इसी स्तर पर नोट प्रेस खारिज करवाना चाहते है अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत निर्देशानुसार के नोट प्रेस खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो के दाखिल दफ्तर हो।
[illegible]
11/3/22

Attd.

विनोदकुमार

कमलेश शर्मा

(R.C. Bairwa)
11.3.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:26:04 IST
Reason: SelfAttested